IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 23, Issue 6, Ver. 1 (June. 2018) 96-98
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

''भारतीय लोकतंत्र में नारी पराधीनता के वर्तमान पदचिन्ह''

डॉ0 जितेन्द्र बहादुर सिंह
एसो0 प्रो0 – राजनीति विज्ञान
पं0 राम लखन शुक्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
आलापुर, अम्बेडकरनगर, उ0प्र0

भूमिका

भारतीय लोकतंत्र में नारी पराधीनता के वर्तमान पद–चिन्ह जिसमें भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और समाज में लैंगिक भेदभाव और नारी पराधीनता के वर्तमान पद चिन्हों की पहचान की गई है। यह शोध पत्र इस बात का भी वर्णन करता है कि अमुक्त समस्या भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। भारत में लोकतंत्र स्थापना के बावजूद भी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नही हो पाई है। समाज परम्परागत नियमों से संचालित है जो पुरूष प्रधानता पर आधारित हे। राजनीतिक रूप से नारी को समान अधिकार मिलने के बावजूद भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्तिकरण होने में कई बाधाएं हैं, जिन्हें नारी पराधीनता के वर्तमान पद्चिन्ह कहा जा सकता है। नारी पराधीनता से आशय उस परिस्थिति से है जहॉ एक नारी निजी और सार्वजनिक निर्णय अपी स्वतंत्र इच्छा से नहीं ले सकती। उसके निर्णयों पर भी किसी भी पुरूष की अंतिम स्वीकृत जरूरी होती है। नारी पुरूष समाज के परम्परागत नैतिक और कानूनी नियमों का अनुगमन करने के लिए बाध्य होती है। लैंगिक आधार पर जनसंख्या के विभाजन से महिलाओं का एक वर्ग सामने आता है, जो अपने इतिहास में सबसे अधिक हर स्तर पर भेदभाव का शिकार रहा है। मार्क्स और ऐन्जल्स ने महिला वर्ग को उस श्रेणी में रखा जिनके साथ सबसे पहले उत्पीड़न हुआ। उन्होंने कहा कि इतिहास में स्त्रियां प्रथम शोषित वर्ग है, जहॉ से शोषण की कहानी शुरू हुई हैं। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धान्त के व्याख्याता हेनरीमैन ने आनी पुस्तक 'ऐंशियन्ट लॉ इट्स कनैक्सन विद द एर्ली हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी एण्ड इट्स रेलेशन टू मारल आइडियल्स' वाल्टर बेजहॉट ने अपनी पुस्तक' फिजिक्स एण्ड पॉलिटिक्स, और मैकाइबर ने अपनी पुस्तक 'द माईन स्टेट' में राज्य की उत्पत्ति काल से ही पितृ सत्ता आधारित समाज और राज्य संगठन की बात का उल्लेख किया है, आधुनिक नारीवादियों ने भी स्त्रियों की दुर्दशा का चित्रण किया है नारीवादियों की मान्यता के अनुसार समाज में शक्ति का विस्तृत प्रयोग लिंग के आधार पर किया जाता है लिंग के परिप्रेक्ष्य में सत्ता का प्रयोग पितृतंत्र कहलाता है, जो कि नारियों पर पुरूष प्रधान समाज को मान्यता प्रदान करता है।

प्रसिद्ध नारीवादी चिन्तक हैरियट मर्टिग्यू ने कहा है कि ''यदि सभ्यता की सही–सही परख करनी हो तो समाज के उस आधे हिस्से की हालत पर विचार करना चाहिए जिस पर दूसरा आधा हिस्सा अदम्प शक्ति का प्रयोग करता है। ''

मेरी वाल्टन क्राफ्ट ने अपनी पुस्तक 'विडिक्रेशन ऑफ द राइट ऑफ तूमेन', जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक 'सब्जेक्सन ऑफ द बूमेन' बिट्टी फ्रीडन ने अपनी पुस्तक 'द फेमिनिन मिस्टिक, केट मिलेट ने अपनी पुस्तक 'सेक्सुअल पालिटिक्स इत्यादि नारीवादी चिन्तकों ने स्त्रियों के उत्पीड़न और इनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, अधिकारों की बात की है।

रेड स्टॉकिग्स घोषणा 1969, स्त्रियों को एक उत्पीड़ित वर्ग मानती है। अतीत में स्त्रियों को स्तीत्व के कारण अन्याय वहन करना पड़ा है, जिसके कारण पिछड़े और शोषित वर्ग के उत्थान की प्राथमिकताओं के अनुरूप ही समाज और राजनीतिक व्यवस्था में महिला वर्ग को भी प्रमुख भूमिका निभाने और प्रमुख स्थान बनाने की मॉग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं से संबंधित संगठन अस्तित्व में आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास से यूएन वूमेन नामक संस्था की स्थापना जुलाई 2010 में हो चुकी है।

वर्तमान समय में लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में नारी अधिकारों से संबंधित लोकतंत्र का विस्तार हुआ है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है यहॉ भी नारी अधिकारों से संबंधित आन्दोलन का विस्तार हुआ है।

वर्तमान समय में भारत महिलाओं की स्थिति के मामले में चिंताजनक दौर से गुजर रहा है वैश्विक लैंगिक अन्तराल सूचकांक लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया सूचकांक है, जो विश्व के आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है इस सूचकांक नवीनतम संस्करण दिसम्बर 2019 में प्रकाशित किया गया। भारत इस सूचकांक के अनुसार 156 देशों में से 112 स्थान रखता था परन्तु 2021 के ताजे आंकड़ों में 140 स्थान के साथ भारत की स्थिति चिन्ताजनक है, जबकि बंग्लादेश 65वें, नेपाल 106वें, भूटान 130वें और श्रीलंका 116वें स्थान पर भारत से बेहतर स्थिति में है।

भारत में स्त्रियॉ परम्परागत रूप से प्रताड़ना का शिकार रही हैं। भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है भारतीय समाज अभी भी रूढ़िवादी सामाजिक ढॉचे के अन्तर्गत काम करता है जाति, धर्म, विवाह, मृत्यु संस्कार जन्म संस्कार एवं पूजा पद्धति आदि में परम्पराओं का कितना महत्व है इसे हम सभी जानते है, भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की भागेदारी पूर्व की अपेक्षा बढ़ गई है।

नारियां पुरूषों के समान ही कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। नारियों राजनीतिक जागरूकता के साथ सामाजिक जागरूकता भी देखने को मिलती है। आज स्त्रियों की पराधीनता की बेड़िया कट रही हैं और स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन यह सुधार प्रयाप्त नहीं है। वर्तमान समय में भारतीय समाज में लैंगिक असमानता और नारी पराधीनता के वर्तमान पद चिन्ह दिखाई देते है जो स्त्रियों की पराधीनता, लैंगिक असमानता के सूचक है जिनकों भारतीय लोकतंत्र सफल और मजबूत बनाने हेतु समाप्त किया जाना आवश्यक है।

जन्म और शिक्षा के स्तर पर स्त्रियों की पराधीनता है। बच्चियों के जन्म पर खुशियॉ कम मनायी जाती है। बेटा पैदा होने पर अधिक खुशी और चाहत होती है। लड़की के साधारण शिक्षा और लड़कों को उत्तम प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किये जाने की प्रवृत्ति अभिभावकों के अंदर अधिक दिखाई पड़ती है।

विवाह और दाम्पत्य जीवन में स्त्रियों की पराधीनता है। भारत में लड़के अथवा लड़कियों के विवाह का उत्तरदायित्व उनके माता–पिता का होता है। संतान को अपना विवाह स्वयं करना कम संस्कारपूर्ण माना जाता है।

महिलाओं ने गुलामी के प्रतीकों को श्रृंगार के रूप में अपनाया। कुछ प्रकार के श्रृंगार महिलाओं में उनकी गुलामी के प्रतीक दिखाई देते हैं।

पर्दा प्रथा को स्त्रियों पर एकतरफा ही थोप दिया गया है जबकि पुरूषों को पर्दा प्रथा के अन्तर्गत नहीं रखा जाता है। स्त्रियों के लिए पर्दा जितना जरूरी है पुरूषों के लिए पर्दा उतना जरूरी नहीं है ऐसी सामाजिक मान्यता है।

समाज में गालियों के वीभत्स प्रयोग में स्त्रियों की पराधीनता के व्यापक लक्षण दिखाई पड़ते है।
बलात्कार जैसी घटनाओं में नारी पराधीनता।
राजनीतिक सहभागिता के स्तर पर स्त्रियों की पराधीनता।
धर्म और आध्यामिकता के स्तर पर स्त्रियों की पराधीनता।

स्त्री–पुरूष के वैवाहिक अथवा दाम्पत्य और प्रेम संबंधों को आत्मा परमात्मा के मिलन के आध्यात्मिक रहस्य से जोड़ दिया गया है। जिस प्रकार बिटिया अपने घर ही मायके में पराए धन के रूप में रहती है। और उसे एक दिन अपने पति के घर जाना पड़ता है ठीक उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर में जो उसका अपना घर मायका होता है, में रहती है और जिसे एक दिन अपने पति परमेश्वर के घर जाना पड़ता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है वर्तमान समय में भारत में एक शुद्ध राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के बावजूद सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पायी है। भारत में शुद्ध राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श स्वतंत्रता, समानतार, बधुत्व–पाप सहिष्णुता के अनुकूल है। समाज में कुछ परम्परागत मान्यताएं वर्तमान लोकतंत्र में अप्रासांगिक हो चुकी है। यह सामाजिक परम्पराएं उस समय की है जब लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया था।

इसलिए आज लोकतंत्र के संरक्षण और विकास और नारी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए पुरानी रूढिवादी सामाजिक ढॉचे और विचारों में परिवर्तन लाना अपरिहार्य होगा, भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के बरसों बीतने के पश्चात् लैंगिक और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना का प्रयत्न करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- ओम प्रकाश गाबा, राजनीति विज्ञान विश्वकोष, मयूर पेपर बैक्स तृतीय प्रकाशन 2008, पेज नं0 – 263,265
- भारत में नारीवाद, (बी0बी0सी0)
- डॉ0 पुखराज जैन एवं डॉ0 बी0 एल0 फड़िया, भारतीय शासन एंव राजनीति साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2011 क्रमशः पेज नं0 50
- विश्व आर्थिक मंच रिर्पोट 2021, लैंगिक सूचकांक अंतराल
- विनीत तोमर, देवियों की जीवन को कर रहे तालीम से रोशन लेख जागरण न्यूज अंक, 9 जून, 2014
- बदलते परिवेश में अन्तर जातीय विवाह, जागरण न्यूज अंक 4 जुलाई 2011
- भारत वर्ष न्यूज 27 दिसम्बर, 2020
- डॉ0 लक्षिता भार्गव, बिटिया नहीं है पराई लेख, पत्रिका न्यूज अंक 18 दिसम्बर, 2020
- नव भारत टाइम्स 24 मई, 2019
- बी0बी0सी0, 27 अगस्त, 2009